आवेदक संस्थाः– **कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.)**

प्रोजेक्ट का नामः– राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–45 ''केंवची–केंदा–मंझवानी–रतनपुर'' कि.मी. 237.860 से 322.035 कुल 84.175 कि.मी. लंबाई मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य।

चेक लिस्ट क्रमांक–35

राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण–पत्र

आवेदक संस्था कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.) के अंर्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–45 ''केंवची–केंदा–मंझवानी–रतनपुर'' कि.मी. 277.160 से 322.035 कुल 44.875 कि.मी. लंबाई मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित निर्माण कार्य में जिला–बिलासपुर के वनमण्डल बिलासपुर के अंर्तगत रतनपुर, बेलगहना एवं भैंसाझार **जिसमें कुल 18.245 हेक्ट.** संरक्षित वनभूमि उक्त परियोजना में प्रभावित हो रही है। **उक्त परियोजना में राजस्व वनभूमि का कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।**

वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल बिलासपुर
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

वनमण्डलाधिकारी
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग
संभाग बिलासपुर (छ.ग.)

(Smt. Mamta Patel)
Executive Engineer
P.W.D., N.H. Division
Bilaspur (C.G.)

372

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) बिलासपुर (छ.ग.)

–:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::–

क्रमांक / 114 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2022–23 बिलासपुर , दिनांक 13/01/2023

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 (विस्तारित) केन्दा–केंवची–मझवानी–रतनपुर मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य से प्रभावित राजस्व वन क्षेत्र एवं वन विभाग के जिला बिलासपुर के तहसील–कोटा के राजस्व ग्राम–रतनपुर, केंदा, सेमरा, सिलपहरी, छतौना, आमामुड़ा चपोरा, नवागांव (मो.) बानाबेल, मझवानी प्रभावित हो रहा है, निम्नांकित अनुसूची–1 में अंकित राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किए जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाहा गया है:–

–– अनुसूची ––

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत / ग्राम का नाम	ख.नं./ कंपाटमेंट नंबर	राजस्व वन भूमि (हे.मे)	मद
01	बिलासपुर	कोटा	छतौना	375	0.596	राजस्व वन भूमि
02	बिलासपुर	कोटा	बानाबेल	84	1.499	राजस्व वन भूमि
03	बिलासपुर	कोटा	मझवानी	31/1क	0.811	राजस्व वन भूमि
04	बिलासपुर	कोटा	रतनपुर	822/1क/1	0.617	राजस्व वन भूमि
05	बिलासपुर	कोटा	रतनपुर	922/15	0.371	राजस्व वन भूमि
06	बिलासपुर	कोटा	रतनपुर	922/1क	0.083	राजस्व वन भूमि
07	बिलासपुर	कोटा	रतनपुर	2150/1	0.655	राजस्व वन भूमि
08	बिलासपुर	कोटा	रतनपुर	2086	0.397	राजस्व वन भूमि
09	बिलासपुर	कोटा	रतनपुर	2088	0.677	राजस्व वन भूमि
10	बिलासपुर	कोटा	रतनपुर	2116	0.173	राजस्व वन भूमि
योग – राजस्व वन भूमि					**5.879**	

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अध्यक्ष अनुविभाग स्वरीय वन अधिकार समिति कोटा के संयुक्त प्रतिवेदनानुसार प्रमाणित किया जाता है :–

1. प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में है, जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जान आवश्यक होगा, यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू–प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तो संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन के ग्राम में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती है तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

।

3\. इस कार्यालय के पत्र क्र. 11/भू.अ./स.अ.भू.अ./2021 बिलासपुर दिनांक 11.01.2021 को 16.172 हेक्ट. राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उक्त रकबे में प्रभावित होने वाले खसरों का अपूर्ण रकबा सम्मिलित किया गया था। वास्तव में रकबा 5.879 हेक्ट. प्रभावित हो रहा है। अतः 5.879 हेक्ट. राजस्व वन भूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

4\. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2007 एवं संशोधित नियम 2012 के संबंध में आवेदित ख.न. में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में कोई भी वन अधिकार मान्यता पत्र जारी नहीं किया गया है, तथा किसी भी प्रकार का विशेष पिछड़ी जनजाति (PTG) निवासरत नहीं है।

5\. उपरोक्त अनुसूची–1 में उल्लेखित आवेदित राजस्व वनभूमि/वनभूमि में से कॉलम 6 में अंकित रकबा को लोकहित में शासकीय प्रयोजनार्थ क्रमांक 45 (विस्तारित) केन्दा–केंवची–मझवानी–रतनपुर मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग हेतु उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)